(GCF-7 & GCF-14)

DATE: 12.10.2019 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3 Hours**

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions. Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) के अनुसार भारत में यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल पक्षों द्वारा ही दिया जाए, यह किसी अन्य व्यक्ति, यहॉं तक कि अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। **{1/2 M}**

यह समस्या **चिन्नैया बनाम रम्मैया** के विवाद पर आधारित है जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि यह आवश्यक नहीं कि प्रतिफल आवश्यक रूप से पक्ष द्वारा स्वयं दिया जाये, यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। इस समस्या में भी यही कारण लागू होता है। **{1/2 M}**

अतः M कथित राशि N को देने के लिए बाध्य है तथा अपने दायित्व को इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि प्रतिफल N द्वारा नहीं दिया गया। **{1 M}**

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(68) के अनुसार प्राईवेट कम्पनी से आशय वह कम्पनी जिसकी न्यूनतम अंशपूंजी उतनी होगी जो निर्धारित की जायेगी और केवल एक व्यक्ति को छोडकर उसमें सदस्यों की सीमा 200 तक रहेगी। परन्तु दो लोगो ने संयुक्त नाम से अंश ले रखे है तो उन्हें एक ही माना जायेगा।
कम्पनी के कमचारियों को तथा कम्पनी के पुराने कर्मचारियों को 200 सदस्यों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। **{2.5 M}**

दिये गये मामले में फ्लोराफोना लिमिटेड निजी कम्पनी में परिवर्तित हो सकती है। कम्पनी को सदस्यों की सीमा में कटौती नहीं करने पडेगी क्योंकि कम्पनी के सदस्य 200 ही होते है। जो निम्नलिखित रूप से बताऐ गये है–

निदेशक और उनके रिश्तेदार	= 190
5 जोडे (5 x 1)	= 5
अन्य	= 5
कुल	= 200

{1.5 M}

अतः यहा पर सदस्यों की संख्या में कमी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सदस्यों की संख्या 200 तक ही है। **{1 M}**

Answer:

(c) वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 कि धारा 64 के अनुसार यह नियम लागु होंगे–

Case (a) C की बोली एक प्रस्ताव है इस वजह से इसे कभी भी स्वीकृति से पहले वापिस लिया जा सकता है। नीलामी विक्रय की कोई भी विपरीत शर्त इस पर लागू नही होगी।

Case (b) C की बोली मात्र एक प्रस्ताव है जो स्वीकृतिदाता द्वारा स्वीकृति हेतु मना भी किया जा सकता है।
अतः P उच्चतम बोली को स्वीकार करने से मना कर सकता है।

Case (c) यह एक व्यर्थनीय अनुबन्ध है क्योकि विक्रेता बोली हेतु (केवल एक) अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।
यहाँ एक से अधिक अभिकर्ता नियुक्त करने पर लगता है वह वस्तुओ कि कीमत बढ़ाना चाहता है।

Case (d) Z को वस्तुओ पर स्वामित्व हथौड़े के गिरते ही हस्तान्तरित हो गया था। सुपुदर्गी योग्य स्थिति में रखी गई वस्तु का स्वामित्व हस्तान्तरण हथोड़ा गिरते ही हो जाता है।

{1 M for each correct 5 points}

Case (e) यह विक्रय वैध नही है एवं C वस्तु बेचने के लिए योग्य नही है। एक नीलामीकर्ता वस्तु की न्यूनतम कीमत से कम मूल्य पर बोली स्वीकार नही कर सकता है। और यदि वह ऐसा करता है तो वस्तुओ का मालिक इस विक्रय से बाध्य नही है।

Answer 2:

(a) सीमित दायित्व साझेदारी तथा सीमित दायित्व कम्पनी के बीच अन्तर (Distinction between LLP and LLC)

	अन्तर का आधार	सीमित दायित्व साझेदारी	सीमित दायित्व कम्पनी
1.	नियंत्रणकारी अधिनियम	सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008	कम्पनी अधिनियम, 2013
2.	सदस्य/साझेदार	वे व्यक्ति जो सीमित दायित्व साझेदारी के प्रति योगदान करते हैं वे सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदार के रूप में जाने जाते हैं।	वे व्यक्ति जो शेयर्स में रकम निवेश करते हैं कम्पनी के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं।
3.	आन्तरिक प्रशासनिक ढॉचा	एक सीमित दायित्व साझेदारी का आन्तरिक नियंत्रण ढॉचा साझेदारों के बीच ठहराव से चलता है।	एक कम्पनी का आन्तरिक प्रशासन ढॉचा विधान द्वारा नियंत्रित किया जाता है (Companies Act, 2013)
4.	नाम	सीमित दायित्व साझेदारी के नाम के अन्त में Limited Liability Partnership शब्दों का प्रत्यय (Suffix) के तौर पर प्रयोग करना चाहिये।	सार्वजनिक कम्पनी के नाम में शब्द Limited तथा निजी कम्पनी के नाम में Private Limited शब्द आने चाहिये (Suffix के रूप में)
5.	सदस्यों/साझेदारों की संख्या	न्यूनतम : 2 सदस्य अधिकतम : अधिनियम में ऐसी कोई सीमा नहीं है। सीमित दायित्व साझेदारी के सदस्य व्यक्ति / या समामेलित संस्था हो सकते हैं, नामांकित वयक्ति के माध्यम से।	निजी कम्पनी : न्यूनतम : 2 सदस्य अधिकतम : 200 सदस्य सार्वजनिक कम्पनी : न्यूनतम : 7 सदस्य अधिकतम : कोई ऐसी सीमा नहीं है। सदस्य हो सकते हैं संगठन, प्रन्यास, कोई अन्य व्यावसायिक स्वरूप या व्यक्ति।
6.	सदस्य/साझेदारों का दायित्व	साझेदारों का दायित्व उनके सहमत अंशदान तक सीमित होता है सिवाय स्वैच्छिक कपट की दशा में।	सदस्यों का दायित्व सीमित रहता है उनके द्वारा धारित अंशों पर, उच्चतम राशि तक।
7.	प्रबन्ध	कम्पनी का व्यवसाय ठहराव में अधिकृत नामजद साझेदारों के साथ साझेदारों द्वारा प्रबन्धित किया जाता है।	कम्पनी का कामकाज अंशधारकों द्वारा चुने गये संचालक मण्डल द्वारा संभाला जाता है।
8.	संचालकों/नामित सदस्यों की न्यूनतम संख्या	कम से कम 2 नामित साझेदार।	निजी कम्पनी : 2 संचालक सार्वजनिक कम्पनी : 3 संचालक

{1 M for each Correct 6 points}

Answer:

(b) वस्तु विक्रय अधिनियम 1932 की धारा 44 के अनुसार यदि विक्रेता वस्तु सुपुर्द करने के लिए राजी है और क्रेता को सूचित करता है कि वह वस्तु की सुपुर्दगी ले परन्तु क्रेता सुपुर्दगी उचित समय में नहीं ले पाता तो सुपुर्दगी न होने की वजह से जो भी नुकसान वस्तु को हो उसके लिए क्रेता जिम्मेदार होगा साथ की वस्तु की देखरेख के खर्चे भी क्रेता को वहन करने होगे। **{1 M}**

जब भी किसी वस्तु को नियोजित कर सुपुर्दगी योग्य स्थिति में डाल दिया जाता है। तो स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। और साधारण नियम है कि जोखिम स्वामित्व के साथ चलती है। जब तक वस्तु का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित न हो तो जोखिम विक्रेता की होती है चाहे सुपुदर्गी की गयी हो या नही। **{1 M}**

दिए गए प्रश्न में Mr. G Mr. H को सूचित कर चुका था कि वह वस्तु की सुपुर्दगी ले परन्तु Mr. H सुपुर्दगी लेने में लापरवाही बरतता है इसलिए वस्तु का जोखिम Mr. H को वहन करना होगा। **{1 M}**

यदि वस्तुओं की कीमत नकद में चुकाई गई नहीं होती तो Mr. G अदत्त विक्रेता कहलाता और उन्हें क्रेता के विरूद्ध व्यक्तिगत तौर पर निम्न अधिकार प्राप्त होते है–

(a) जब क्रेता स्वामित्व आन्तरण होने के बाद वस्तुओं की सुपुर्दगी लेने में लापरवाही बरतता है तो विक्रेता उस पर मूल्य के लिए वाद कर सकता है। **{1.5 M}**

(b) यदि विक्रय अनुबंध में वस्तु का मूल्य एक निर्धारित तिथि पर चुकाया जाना हो चाहे सम्पति का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित न हुआ हो, तो भी विक्रेता क्रेता पर मूल्य हेतु वाद कर सकता है। **{1.5 M}**

Answer 3:

(a) सामान्यतः एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो पूरी फर्म समाप्त हो जाती है और जैसे ही एक साझेदार की मृत्यु होती है मृत्यु के पश्चात उस साझेदार की सम्पत्तियाँ भविष्य में होने वाले दायित्वों के लिए बाध्य नहीं होती है। मृत्यु की दशा में सार्वजनिक नोटिस देना भी जरूरी नहीं है। **{2 M}**

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते है कि X अपने माल के लिए केवल जीवित साझेदार अर्थात A तथा B पर ही वाद प्रस्तुत कर सकता है और वह Mr. C के वैधानिक उत्तराधिकारी से अपनी राशि की मांग नहीं कर सकता। **{2 M}**

Answer:

(b) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 20 के अनुसार एक फर्म आपसी अनुबन्ध के द्वारा साझेदार के गर्भित अधिकार को बढ़ा भी सकती है और रोक भी सकती है। परन्तु यह गर्भित अधिकार जो बढ़ाया गया है अथवा सीमित किया गया है यह तृतीय पक्षकार के प्रति तभी बाध्यकारी होगा यदि निम्नलिखित दो शर्ते पूरी होगी।

1. तृतीय पक्षकार को इन बाधाओं के बारे में पता है।
2. तृतीय पक्षकार को यह नहीं पता है कि जिससे वे अनुबन्ध कर रहे है वह फर्म का साझेदार है। **{2 M}**

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार हम कह सकते है कि M ने जो फर्नीचर A को बेचा था उसके लिए वह फर्म से अपने पैसो की मांग कर सकता है क्योंकि उसको अनुबन्ध की जानकारी नहीं थी जो अभी–अभी साझेदारों के मध्य हुआ है। **{1.5 M}**

परन्तु द्वितीय दशा में M को उस अनुबन्ध की जानकारी है इसलिए वह फर्म से पैसा नहीं मांग सकता है। **{1.5 M}**

Answer:

(c) भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 25 के अनुसार ''साझेदारों के दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनो होते है। **{1 M}**

– साझेदारी में साझेदारों के दायित्व असीमित होते है। उनकी निजी सम्पति का प्रयोग भी फर्म ऋणों के भुगतान में प्रयोग लिया जा सकता है। एक साझेदार द्वारा पूरे ऋण का भुगतान भी किया जा सकता है। बाद में वह अन्य साझेदारों से अंशदान की मांग कर सकता है परन्तु एक बार तो उसे लेनदार को पूरा भुगतान करना पडता है। क्योंकि दायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनो होते है। **{1 M}**

– इस मामले में पारूल, अनुराग को पूरे ऋण को भुगतान के लिए विवश कर सकती है और अनुराग को भुगतान करना पडेगा। बाद में वह रोहित की सम्पत्ति से उसका हिस्सा वसूल कर सकता है। **{1 M}**

Answer 4:

(a) **क्रेता सावधान रहें (CAVEAT EMPTOR) धारा–16 :** वस्तु विक्रय अधिनियम के अन्तर्गत इस नियम का अर्थ है 'क्रेता सावधान रहें'। जब विक्रेता बाजार मे अपना माल दिखाता है तो यह क्रेता की जिम्मेदारी है कि वह अपने माल का सही चयन करे। यदि इसके बाद वह माल खराब निकलता है, तब क्रेता विक्रेता को अपने गलत चयन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। विक्रेता के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपने माल की अशुद्धियाँ सार्वजनिक करें। यह खरीदार का ही कर्तव्य है कि वह सामान खरीदने से पहले यह संतुष्टि कर ले कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सामान खरीद रहा है, वह उसके उद्देश्य को पूरा करेगा या नहीं। यदि सामान या वस्तुएं दोषपूर्ण निकलती हैं या उसके उद्देश्य को पूर्ण नहीं करती हैं या वह केवल अपने हुनर या निर्णय पर ही निर्भर रहता है, तो खरीदार विक्रेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। **{1 M}**

अपवाद : 'क्रेता सावधान रहे' का सिद्धान्त निम्न अपवादों से ग्रस्त है –

1. जब विक्रेता उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं के प्रकार का निर्माता अथवा व्यापारी है और क्रेता ने उसे विशिष्ट उद्देश्य हेतु उसे माल चाहिए उसको सूचित कर दिया है और विक्रेता की निपुणता तथा निर्णय पर विश्वास किया है तब यह एक गर्भित शर्त है कि माल सामान्यतः उस तात्पर्य के लिए उचित है जिसके लिए उनकी आवश्यकता है।

2. जब कोई माल उसके 'पेटंट नेम' या ब्राण्ड नेम के अन्तर्गत खरीदा जाता है तो ऐसी कोई गर्भित शर्त नहीं होती कि वस्तु विक्रय योग्य है।
3. जब कोई वर्णन द्वारा वस्तु बेची जाती है तब यह गर्भित शर्त होती है कि वस्तु विक्रय योग्य है।
4. जब वस्तुएँ नमूने के माध्यम से खरीदी जाएँ उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता अगर माल भेजे हुए नमूने से मेल नहीं खाता।
5. जब वस्तुएँ नमूने के माध्यम के साथ–साथ वर्णन द्वारा खरीदी जाएँ उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता अगर माल भेजे हुए नमूने तथा वर्णन से मेल नहीं खाता।
6. किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु माल के गुण तथा उपयुक्तता से सम्बन्धित गर्भित शर्तें एवं आश्वासन उस व्यापार में चल रही प्रथा द्वारा तय की जाती हैं और यदि विक्रेता उनमें चूक करें तो ''क्रेता सावधान रहे'' का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।
7. जब विक्रेता ने माल के सम्बन्ध में कोई झूठा प्रतिनिधित्व या कपट किया है और क्रेता ने उस पर विश्वास किया है। या जब विक्रेता ने जानबूझ कर किसी दोष को छिपाया है जो माल के सामान्य निरीक्षण पर स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होता तो ''क्रेता सावधान रहे'' लागू नहीं होगा। इन सब मामलों में क्रेता अनुबन्ध को भंग कर सकता है तथा हर्जाना माँग सकता है।

{1 M for each Correct 6 points}

Answer:

(b) अनावश्यक प्रभाव का अर्थः– अनावश्यक प्रभाव का अर्थ भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 16 के अनुसार कोई अनुबंध अनावश्यक प्रभाव के कारण किया गया हो सकता है जहां दोनों पार्टियों में ऐसे सम्बंध है कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर अपनी स्थिति में दबाव डालकर उसकी इच्छा के विरूद्ध अपने प्रभाव का उपयोग कर उससे कोई अनुचित लाभहित रखता है।

(a) किसी व्यक्ति को उस स्थिति में माना जाएगा जहां वह व्यक्ति कोई वास्तविक या समझे तथा माने गये अधिकार रखता है।

(b) जहां वह व्यक्ति किसी ऐसी व्यक्ति से अनुबंध करता है जो कि अस्थायी रूप से या स्थायी रूप में मानसिक रूप मानसिक क्षमता से ग्रसित है या ऐसा बुढापें के कारण बीमारी के कारण या मानसिक या शारीरिक अक्षमता से प्रभावित है। **{2.5 M}**

(c) जहॉ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थिति में है कि वह दूसरे लोगों को अपनी स्थिति के कारण प्रभावित कर सकता है और वह अपने प्रस्ताव का उपयोग करके उसके साथ अनुबंध करता है और वह व्यवहार अनैच्छिक है, यह सिद्ध करना की यह अनुबंध निष्पक्ष है उस व्यक्ति को करना होगा जो व्यक्ति ऐसा प्रभाव डालने के स्थिति में है।

दी गयी समस्या में A बैंकर को कर्ज देने का आवेदन उस समय करता है जब मुद्रा बाजार में मुद्रा कि बहुत अधिक तंगी है बैंकर कर्ज देने से इन्कार करता है सिवाय इस आधार पर कि कर्ज पर ब्याज कि दर बहुत ऊँची होगी। A ऊंचे ब्याज दर की शर्त पर कर्ज लेने के लिए सहमत हो जाता है। यह व्यवहार सामान्य व्यापार नियमों के अनुरूप है और कर्ज का अनुबंध अनावश्यक प्रभाव से प्रेरित नहीं है जैसा कि दोनों पक्ष के ही स्तर पर है तो इसलिए न्यायालय इससे व्यवहार को केवल इसलिए अनैच्छिक करार नहीं ठहरायेगा कि ब्याज की दर अधिक है केवल वहां पर जहां कर्जदाता इस स्थिति में ही कि वह कर्ज लेने वाले की इच्दा बदलने का दबाव डाल सकता है, कोई सहायता तभी दी जा सकती है जब अनावश्यक प्रभाव का उपयोग सिद्ध किया जा सकता है। **{1.5 M}**

पर इस समस्या में ऐसी कोई स्थिति नहीं है इसलिए यहां पर कोई अनावश्यक प्रभाव का उपयोग नहीं हुआ है। **{1 M}**

Answer 5:

(a) प्रश्न में पूछी गई समस्या, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की **धारा 73** पर आधारित है। इस के अनुसार, जब अनुबंध भंग होने के कारण एक पक्ष को हानि हो तो वह पक्ष अनुबंध के लिए दोषी पक्ष से प्राकृतिक रूप से सौदों के सामान्य व्यवहार के अन्तर्गत अनुबंध भंग क कारण होने वाली हानि, जो अनुबध करते समय दोनों पक्षों की जानकारी में थी, प्राप्त करने का अधिकारी हे। इस प्रकार का हर्जाना दूर के किसी कारणवश अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि के लिए नहीं किया जाता। इस धारा के स्पष्टीकरण में **{1.5 M}**

आगे बताया गया है कि हानि का अनुमान लगाते समय उन साधनों को ध्यान रखा जाए जो अनुबंध भंग से होने वाली हानियों या असुविधा को कम कर सकते थें।

इस बिन्दु पर प्रमुख निर्णीत विवाद **<u>हैडले बनाम बैक्सनडेल</u>** है। हैडले बनाम वैक्सनडेल के विवाद में यह निर्णय दिया गया था कि यदि अनुबंधरत समय मौजूद विशेष परिस्थितियों की जानकारी दूसरे पक्ष को दे दी गयी थी, इस प्रकार से दोनों पक्षों की जानकारी में थी तो हर्जाने की राशि वह होगी जो साधारण व्यवहार में अनुबंध की विशेष परिस्थितियों में अनुबंध भंग के कारण हुई। **{1.5 M}**

पूछे गये प्रश्न में A ने C को सूचित कर दिया था कि वह उसके साथ जो अनुबंध कर रहा है। वह B के साथ किए गए अनुबंध को पूरा करने के उद्देश्य से कर रहा है। इस प्रकार C को A क द्वारा B के साथ किए गए अनुबंध की विशेष परिस्थितियों की जानकारी थी। इसलिए A, C से रू. 1,00,000 [लोहे की चाद B को बेचने का मूल्य (5,000) – C से लोहे की चाद खरीदने का मूल्य (4,800) =A को हो सकने वाले लाभ की राशि] **{1.5 M}**

यदि A ने C को उपर्युक्त बात की जानकारी नहीं दी थी तो हर्जाने की राशि अनुबंध भंग की तिथि को अनुबन्धित मूल्य तथा बाजार भाव के अन्तर के बराबर होती। **{1.5 M}**

Answer :

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(85) के अनुसार लघु कम्पनी से आश्य ऐसी कम्पनी से है जो सार्वजनिक कम्पनी न हो और निम्नलिखित दो शर्ते पूरी करती हो–

1. कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रू. से ज्यादा न हो अथवा उस राशि से ज्यादा न हो जो निर्धारित की जायेगी। परन्तु निर्धारित राशि 5 करोड रू. से अधिक नहीं होगी एवं
2. कम्पनी का टर्नओवर पिछले लाभ–हानि खाते के अनुसार 2 करोड से ज्यादा न हो अथवा उस राशि से ज्यादा न हो जो निर्धारित की जायेगी। परन्तु निर्धारित की गई राशि 2 करोड से अधिक नहीं होगी।

उपरोक्त प्रावधान निम्नलिखित कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे–

(a) सूत्रधारी तथा सहायक कम्पनी
(b) धारा 8 में पंजीकृत कम्पनी
(c) किसी विशेष अधिनियम के द्वारा संचालित कम्पनी **{3 M}**

1. उपरोक्त दशा में एमएनपी प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार पंजीकृत है जिसकी अंश पूंजी 45 लाख रू. है और टर्नओवर 3 करोड रू. है। कम्पनी केवल अंश पूंजी की आवश्यकता को ही पूरा कर रही है दूसरी आवश्यकता टर्नओवर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रही इसलिए कम्पनी लघु कम्पनी नहीं कही जा सकती। **{1.5 M}**
2. यदि कम्पनी का टर्नओवर 1.5 करोड रू. होता तो कम्पनी दोनों आवश्यकता को पूरा कर रही है इसलिए यह कम्पनी लघु कम्पनी मानी जा सकती है। **{1.5 M}**

Answer 6:

(a) समस्या संप्रेषण और स्वीकृति का समय तथा अस्वीकृति के समय पर आधारित है भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 4 के अनुसार स्वीकृति को संप्रेषण ही स्वीकृति को पूर्ण करता है जबकि स्वीकारकर्ता के बदले यह प्रस्तावकर्ता के संज्ञान में आता है।
किसी भी स्वीकृति को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है पर यह स्वीकृति के पूर्व ही स्वीकारकर्ता के लिए मान्य है परन्तु संप्रेषण के उपरान्त नहीं। **{1 M}**

उपरोक्त प्रावधानों के सन्दर्भ के अनुसार :

(1) हॉ, रामानाथन द्वारा स्वीकृति को निरस्त किया जाना वैध है।
(2) यदि रामस्वामी तार को पहले खोलता है। (यह सामान्यतः किसी भी ठीक सोच वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है) और उसे पढ लेता है तो स्वीकृति निरस्त समझी जाती है। यदि वह पत्र को पहले खोलता है और उसे पढता है तो स्वीकृति की निरस्ता सम्भव नहीं होती क्योंकि अनुबंध पहले ही सम्पूर्ण और अन्तिम रूप में हो चुका होता। **{1 M Each}**

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87) के अनुसार सहायक कम्पनी से आशय किसी अन्य कम्पनी के सम्बन्ध में ऐसी कम्पनी से है जिसमें सूत्रधारी कम्पनी निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करती है–

1. निदेशक मण्डल के गठन को नियन्त्रित करना अथवा
2. कम्पनी की कुल अंश पूंजी अथवा कुल मताधिकार का आधे से अधिक स्वयं या अपने किसी सहायक के माध्यम से धारित करना।

{2 M}

स्पष्टीकरण –

(a) उपरोक्त 1 तथा 2 में बताई गई कम्पनीयों की सहायक कम्पनीयां भी सूत्रधारी की सहायक मानी जायेगी।

(b) निदेशन मण्डल के गठन को नियत्रण करने से आशय है किसी कम्पनी के आधे से ज्यादा निदेशको को नियुक्त अथवा हटाने का अधिकार रखना।

{2 M}

उपरोक्त दशा में जीवन तथा सूधीर प्राईवेट लिमिटेड कम्पनियां कुल मताधिकार के आधे से कम धारण करते है इसलिए पीयूष प्राईवेट लिमिटेड सरस लिमिटेड कम्पनी की सूत्रधारी कम्पनी नहीं होगी। **{1 M}**

हालांकि यदि पीयूष प्राईवेट लिमिटेड 9 में से 8 निदेशको को नियुक्त करने का अधिकार रखती है तो पीयूष प्राईवेट लिमिटेड को सरस प्राईवेट लिमिटेड की सूत्रधारी कम्पनी माना जायेगा। **{1 M}**

Answer:

(c) स्वीकृर्ता के चुप रहने से प्रस्ताव को गर्भित रूप से स्वीकृत नहीं माना जा सकता चाहे प्रस्ताव में भी इसका उल्लेख हो। जब तक स्वीकृर्ता अपने व्यवहार द्वारा यह प्रदर्शित न करे कि उसेन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, प्रस्ताव स्वीकृत नहीं माना जा सकता। अतः इस मामले में यदि B चुप रहता है तो इसे प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। **(फेल्टहाउस बनाम बिंदले)**. **{1.5 M}**

स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट समय में दी जानी चाहिए। निर्दिष्ट समय के बीतने के बाद दी गई स्वीकृति इसे अनुबंध में परिवर्तित नहीं कर सकेगी। अतः एक सप्ताह बाद वाली स्वीकृत भी मान्य नहीं होगी, क्योंकि यह स्वीकृति उचित समय में नही दी गई है। **(राम्सगेट विक्टोरिया होटल बनाम मोन्टेफियोरे)**. **{1.5 M}**

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) (1) B
(2) D
(3) D
(4) C
(5) B
{Each 1 Mark}

Answer:

(b) (i) They said that they would apply for a visa.
(ii) He said that he could run faster.
(iii) He said that he should avail the opportunity.
{Each 1 Mark}

Answer:

(c) Employees in an organization interact with each other outside the formal domain. Such communication is called 'grapevine' - gossip in the office. **{1 M}** Employees of different departments and varied levels meet and discuss matters casually and informally. The grapevine satisfies the social needs of the people and helps in building relationships. It is also useful in addressing certain needs and grievances of employees. **{1 M}**

Answer 8:

(a) Tension headaches are characterized by a painful band around the head or pain in the neck and shoulders. This kind is usually caused due to long driving hours or sitting in front of pc's or at the desk. Migraine headaches are characterized by pain on one side of the head, vomiting, irritation or brighter flashes of light. This kind is **{3 M}** usually caused due to intake of coffee, chocolates and MSG in food items. Headaches can be treated on our own or by following a doctor's advice. **{2 M}**

Answer:

(b) (i) rotund
(ii) scanty
(iii) spiritual
{Each 1 Mark}

Answer:

(c) **Circuit Network:**

When two persons communicate with each other sending messages and feedback, they form a communication circuit. Therefore it is known as circuit network. The two people interacting can be colleagues placed at the same hierarchical level in the organization. **{1 M}**

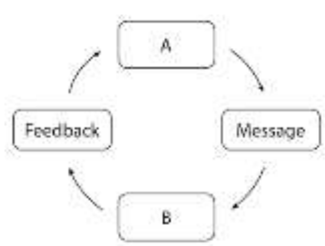

Circuit Network

{1 M}

Answer 9:

(a) The student may use either the chronological format or the functional format for drafting the resume for a Commerce graduate with no experience.

The following information must be given in the resume:

- Personal details
- Contact information
- Education details - information about Grade X, Grade XII, and Graduation. Which school or college the boy / girl attended? Which year did they pass?
- Skills - soft skills (such as problem solving; time management; critical thinking); computer programming; speaking multiple / foreign languages; etc.
- Achievements - competitions won; positions of responsibilities; projects undertaken.

{Each Point 1 Mark}

Answer:

(b) (i) Subject of dispute
(ii) Make a big issue out of a small thing
(iii) No choice at all

{Each 1 Mark}

Answer:

(c) **Gender barriers-** Men and women communicate differently. The reason for this lies in the wiring of a man’s and woman’s brains. Men talk in a linear, logical and compartmentalized manner whereas the women use both logic and emotion, and are more verbose. This may be the cause of communication problem in an office where both men and women work side by side. Men can be held guilty of providing insufficient information, while women may be blamed for providing too much detail. **{1 M}**

Gender bias is another factor in communication barriers. Due to traditional mindsets, many men find it difficult to take orders from, or provide information to women. **{1 M}**

Answer 10:

(a) R-27, Block - A
Greater Kailash
Pune – 56

17 May, 20XX

The Manager / Mr. / Ms.

Shrishti Enterprises
247, Okhla Industrial Area
New Delhi -25

Sir/Ma’am

Placing an Order for Office Furniture

{2 M}

After going through your catalogue of office furniture, I wish to place an order for the following items for our office.

S.No.	Item	Quantity
1.	Chairs (Steel)	25 Pieces
2.	Tables (Wooden)	15 Pieces
3.	Stool (Wooden)	20 Pieces
4.	Computer Table	10 Pieces
5.	Filing Cabinets	05 Pieces

All the items should be as per the specifications mentioned in your quotation. Substandard material will be returned. The delivery should be made before May 25, 20XX failing which the order will stand cancelled. Please send the bill after deducting the discount as applicable. As agreed upon earlier, payment of the bill will be made by cheque in favour of the firm within 10 days after the delivery of items. **{2 M}**

Yours truly / sincerely

Rohan Sinha

Manager
KD Infotech **{1 M}**

Answer:

(b) (i) He said "is this your pen?" (Direct)
(ii) Rama said to Arjun, "Go away." (Direct)
(iii) He said to him, "Please open the door for me." (Direct) **{Each 1 Mark}**

Answer:

(c) **Cultural barriers:** Understanding cultural aspects of communication refers to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross culture people.. Understanding various cultures in this era of globalization is an absolute necessity as the existence of cultural differences between people from various countries, regions tribes and, religions, where words and symbols may be interpreted differently can result in communication barriers and miscommunications. Multinational companies offer special courses and documents to familiarize their staff with the culture of the country where they are based for work. **{1 M}**

In addition, every organization too has its own work culture. In fact, departments within the same company may also differ in their expectations, norms and ideologies. This can impact intra and inter organizational communication.
The same principle applies to families and family groups, where people have different expectations according to their background and traditions leading to friction and misunderstanding. A very simple example is of the way food is served by a member of a family. It can be the cause of appreciation or displeasure. **{1 M}**

Answer 11:

(a)
1. Use newspaper format.
2. State name of tournament/series.
3. Exciting match with nail biting finish.
4. Mention who won toss and batted first.
5. Performance of key players in both teams.
6. Reason for victory of winning team.

{Any 5 Points, Each 1 Mark}

Answer:

(b) (i) Most of the class is reading the book.

(ii) The researchers will publish the results in the next journal.

(iii) The CIA director and his close advisors have pursued a policy of whitewashing and cover-up.

{Each 1 Mark}

Answer:

(c) **Paralanguage:** The way you say something, more than the actual words used, reveal the intent of the message, The voice quality, intonation, pitch, stress, emotion, tone, and style of speaking, communicates approval, interest or the lack of it. **{1 M}** Research estimates that tone of the voice accounts for 38 percent of all communications. **{1 M}**

***